बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–: संकल्प :–

विषय :–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को आरक्षण के संबंध में।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र दिनांक–27.04.2017 द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अनुदेशों को समेकित करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन लाने और प्रक्रियात्मक मसलों सहित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने की दृष्टि से एक समेकित अनुदेश निर्गत किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत दिव्यांगजन को सेवाओं में 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया गया है।

2. अतः भारत सरकार द्वारा लिये गए उपर्युक्त निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी राज्य सरकार के सभी पदों एवं सेवाओं में दिव्यांगजनों को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराते हुए पूर्व के निर्गत सभी निदेशों को एकीकृत कर एक समेकित निदेश निर्गत किया जाना आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत निम्नांकित तथ्यों के समावेशन का निर्णय लिया गया है :–

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–34 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों/राजकीय लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/बोर्डों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाय। यह आरक्षण अलग से नहीं बल्कि चयनित दिव्यांग जिस श्रेणी से संबंधित होंगे, उनका सामंजन उसी श्रेणी के विरूद्ध किया जायेगा। अर्थात आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) के दिव्यांग संगत आरक्षित वर्ग से और गैर आरक्षित वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के विरूद्ध सामंजित किये जायेंगे।

(ii) गुणागुण (मेरिट) के आधार पर दिव्यांगों की गणना गैर आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत की जायेगी।

(iii) दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान यद्यपि कंडिका–(1) में उल्लिखित सेवाओं एवं संगठनों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं में किया गया है, फिर भी यदि उसमें दिव्यांगों के लिए आरक्षण उपयुक्त नहीं समझा जाता हो, तो संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 से मुक्त रखने संबंधी प्रस्ताव के साथ यह भी प्रस्ताव दिया जायेगा कि हस्तगत नियुक्ति में दिव्यांगों को आरक्षण नहीं देने की स्थिति में होने वाली क्षति के उक्त पद के समकक्ष पद पर होने वाली अन्य नियुक्ति (जो दिव्यांगों के योग्य हो) से पूरा कर लिया जायेगा। उक्त प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित निम्न समिति के समक्ष रखा जायेगा :–

(क) मुख्य सचिव
(ख) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
(ग) प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग
(घ) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग
(ड़) संबंधित विभाग के सचिव/विभागाध्यक्ष
(च) निःशक्तता आयुक्त